

पत्र संख्या-855/एल.ए.सी./एच.क्यू.

नोटिस

दिनांक : 12.04.10

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ.प्र. अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस।

कानपुर शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा कानपुर शहर में जी.टी. रोड मुख्य मार्ग के समीप मन्थना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-5 कानपुर प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत हैं :-

उत्तर :- खसरा संख्या 593 भाग, 619 भाग, 622 भाग, 623 भाग, 629 भाग, 639 भाग, 638 भाग, 632 भाग, 633 भाग, 634 भाग, 645 भाग, ग्राम बगदौधी बांगर परगना व तहसील व जिला-कानपुर नगर। खसरा संख्या 6 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग, 11 भाग, 12 भाग, 13 भाग, ग्राम बगदौधी कछार परगना व तहसील व जिला-कानपुर नगर। खसरा संख्या 530 भाग, 529 भाग, 578 भाग, 577 भाग, 576 भाग, 596 भाग, 636 भाग, 597 भाग, 598 भाग, 601 भाग, 632 भाग, 631 भाग, 603 भाग, 626 भाग, 604 भाग, ग्राम बैकुण्ठपुर, परगना व तहसील व जिला - कानपुर नगर। खसरा संख्या 58 भाग, 60 भाग, 61 भाग, 90 भाग, 85 भाग, 95 भाग, ग्राम-गम्भीरपुर, परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर। खसरा संख्या 1019 भाग, 1018 भाग, ग्राम बैकुण्ठपुर परगना व तहसील व जिला-कानपुर नगर। खसरा संख्या 77 भाग, ग्राम गम्भीरपुर परगना व तहसील व जिला - कानपुर नगर। खसरा संख्या 722 भाग, 723 भाग, 729 भाग, 728 भाग, ग्राम - बैकुण्ठपुर, परगना व तहसील व जिला - कानपुर नगर। (प्रस्तावित गंगा बैराज बाईपास मार्ग)

पूरब :- खसरा संख्या 734, 735, 745, 736, 737 ग्राम - बैकुण्ठपुर, परगना व तहसील व जिला - कानपुर नगर। खसरा संख्या 115 भाग, 119 भाग, 352, 409 ग्राम - गम्भीरपुर, परगना व जिला - कानपुर नगर।

दक्षिण :- खसरा संख्या 364, 369, 365, ग्राम सिंहपुर परगना व तहसील व जिला - कानपुर नगर। खसरा संख्या 427, 418, 429, 430, 464, 456, 251, 200, 201, 209, 211, ग्राम - गम्भीरपुर परगना व तहसील व जिला - कानपुर नगर। खसरा संख्या 65 ग्राम गंगपुर परगना व तहसील व जिला - कानपुर नगर। खसरा संख्या 542, 543, 615, 612, 611, 610 भाग, 671, 827 भाग, 828, 835, 837, 803, 800 भाग, 802, 843, 844, 858, 860, 861, 1004, 759 (कानपुर से दिल्ली को जाने वाली जी.टी. रोड वाया बिल्हौर) खसरा संख्या 760 / 1185, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 693, 692, 691, 690, 689, 688, 457 भाग, 408, 405 भाग, 404, 403, 402, 401, 374, 373, 369, 367 भाग, 365, 356 भाग, 336, 335, 323, 322, 319, 320, 312 भाग, 285, 286, 287, 288 भाग, ग्राम - बगदौधी कछार परगना व तहसील व जिला - कानपुर नगर। खसरा संख्या 971, 969 भाग, 968 भाग, 967, 966, 965, 955 भाग, 962, 961 ग्राम बगदौधी बांगर परगना व तहसील व जिला - कानपुर नगर।

पश्चिम :- मन्थना से बिठूर पक्की सड़क ग्राम बगदौधी बांगर परगना व तहसील व जिला - कानपुर नगर।

यह घोषणा की जाती है कि जब परिषद की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी भी भूमि जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा तो योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भूमि के स्वामी अथवा उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन, अनुभाग) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - 20 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद आफिस कॉम्पलेक्स, केशवपुरम योजना संख्या-1 कल्याणपुर, कानपुर में किसी भी कार्य दिवस को पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ.प्र. सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से संबंधित आपत्तियां कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - 20 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद ऑफिस कॉम्पलेक्स, केशवपुरम योजना संख्या - 1 कल्याणपुर कानपुर में ली जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम आपत्तिकर्ता का नाम आपत्तिकर्ता की भूमि/ भवन का पूर्ण विवरण तथा ग्राम का नाम खसरा नम्बर क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

आवास आयुक्त